भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3982
18.08.2025 को उत्तर के लिए

महत्वपूर्ण खनिज के खनन के लिए त्वरित मंज़ूरी

3982. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) परिवेश-2.0 में महत्वपूर्ण खनिजों को शामिल करने के क्या कारण हैं और उक्त परिवर्तन को लागू करने की तिथि क्या है;
(ख) क्या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 या पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए)-2006 द्वारा अधिदेशित किसी भी कदम में छूट की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसका कानूनी आधार क्या है;
(ग) 25 खनिजों को सूचीबद्ध करने के मानदंड और उक्त सूची की समीक्षा अनुसूची क्या है;
(घ) 20,000 घन मीटर से अधिक मिट्टी निकालने वाली रैखिक परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंज़ूरी से छूट दिए जाने के क्या कारण हैं और संचयी प्रभाव के लिए क्या सुरक्षा उपाय मौजूद हैं;
(ङ) केंद्रीय और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित संवीक्षा की नई समय-सीमा का ब्यौरा क्या है; और
(च) त्वरित मंज़ूरी मिलने के बाद वनों, वन्यजीवों और स्थानीय अधिकारों के संरक्षण के लिए निगरानी, सार्वजनिक परामर्श और शिकायत निवारण तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) खान मंत्रालय ने दिनांक 20.02.2025 के कार्यालय ज्ञापन (का.ज्ञा.) के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खनन परियोजनाओं के पर्यावरणीय मंजूरी प्रस्तावों को त्वरित मंजूरी करने का अनुरोध किया। उक्त का.ज्ञा. के अनुसार, खान मंत्रालय ने जानकारी दी है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2023 में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हाल ही में संशोधन किया गया है, जो उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा आदि सहित कई क्षेत्रों की उन्नति के लिए आवश्यक हैं। यह भी जानकारी दी है कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस मिशन में महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला के सभी चरण शामिल हैं, जिसमें खनिज अन्वेषण, खनन, लाभकारीकरण, प्रसंस्करण

और उपयोगिता अवधि पूर्ण हो चुके उत्पादों से वसूली शामिल है। यह मिशन देश में और इसके अपतटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज खनन परियोजनाओं के लिए एक त्वरित मंजूरी अनुमोदन प्रक्रिया बनाना है।

तदनुसार, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खनन प्रस्तावों को सहमति की शर्तों (टीओआर) और पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रदान करने की सुविधा के लिए, इस मंत्रालय ने दिनांक 13.03.2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से खान मंत्रालय को सूचित किया कि मंत्रालय के परिवेश पोर्टल पर महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज से संबंधित उप-कार्यकलापों को शामिल करने के लिए आवेदन पत्र में पहले से ही प्रावधान किया गया है।

केंद्र सरकार की पूर्वानुमति हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत प्रस्तुत इन प्रस्तावों का पता लगाने और निगरानी को आसान बनाने के लिए परिवेश पर खनन की प्रमुख श्रेणी के तहत महत्वपूर्ण खनिजों के खनन नामक एक उप श्रेणी भी जोड़ी गई है।

(ग) खान मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने दिनांक 17.08.2023 से प्रभावी एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [एमएमडीआर अधिनियम, 1957] में संशोधन किया है। उक्त संशोधन के माध्यम से, केंद्र सरकार को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के नए भाग-घ में सूचीबद्ध 24 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें लिथियम, निकेल, टंगस्टन, टाइटेनियम, ग्रेफाइट आदि जैसे खनिज शामिल हैं। इन 24 खनिजों को मुख्य रूप से भारत में संसाधनों की कमी और दुनिया भर के सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पादन और आपूर्ति की एकाग्रता के कारण आपूर्ति जोखिम के कारण महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। ये खनिज भारत की औद्योगिक और तकनीकी उन्नति के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और साथ ही कम उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, और नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, जो वर्ष 2070 तक भारत की 'नेट ज़ीरो' प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आवश्यक होंगे। अब तक, केंद्र सरकार ने देश में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के 34 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है।

(घ) बड़े रैखिक परियोजनाओं जैसे राजमार्गों, रेलवे लाइनों आदि के निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में मिट्टी की आवश्यकता होती है।

मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों और विशेषज्ञों के परामर्श से ईआईए अधिसूचना, 2006 में संशोधन करके रैखिक परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी के निष्कर्षण, सोर्सिंग या उधार लेने के लिए अधिसूचना संख्या का.आ. 1223 (अ) दिनांक 17.03.2025 के माध्यम से आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ एक विस्तृत एसओपी जारी किया।

(ङ) सहमति की शर्तों के आवेदनों के निपटान और पर्यावरणीय मंजूरी के आवेदनों के आकलन के लिए समयसीमा ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत विनिर्दिष्ट की गई है।

(च) 'भूमि' राज्य सरकार का विषय है। वन क्षेत्र और उसकी कानूनी सीमाएं संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और बनाए रखी जाती हैं। अतिक्रमण/उल्लंघन सहित विभिन्न खतरों से वनों की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) की है। संबंधित राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन मौजूदा अधिनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार वन भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। राज्य सरकारें और प्रशासन मौजूदा अधिनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार अतिक्रमण/उल्लंघन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अलावा, वन सीमाओं का सीमांकन और डिजिटलीकरण, वन संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, अतिक्रमण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों, पर्यावरण विकास समितियों आदि जैसे सीमांत क्षेत्र के वन समुदायों को शामिल करना जैसे कई अन्य उपाय भी करते हैं। इसके अलावा, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 को अधिनियम की धारा 3क और 3ख के अनुसार हल किया गया है।

*****